भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2610

दिनांक 22.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

पाइप के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति वाले आवास

2610. डॉ. निशिकांत दुबे:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड विशेषकर संथाल परगना सहित ऐसे परिवारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रतिशत कितना है जिन्हें पाइप के माध्यम से पीने के पानी की आपूर्ति मिल रही है; और

(ख) पीने के प्रयोजन के लिए पानी के अन्य स्रोतों का उपयोग करने वाले परिवारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रतिशत कितना है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): अगस्त, 2019 से, वर्ष 2024 तक झारखंड के संथाल परगना के ग्रामीण परिवारों सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए, भारत सरकार राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) का क्रियान्वयन कर रही है।

जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 3.23 करोड़ (17%) परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, लगभग 7.54 करोड़ (38%) ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 20.12.2022 तक, देश में 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 10.77 करोड़ (55.62%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना दी गई है। उनके घरों में नल जल कनेक्शन के अलावा, 43.72% ग्रामीण परिवारों को तर्कसंगत दूरी पर पेयजल स्रोत के माध्यम से कवर किया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

इसके अलावा, सूचित किए गए अनुसार, झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र के 06 जिलों में रहने वाले 15.37 लाख ग्रामीण परिवारों में से, 20.12.2022 तक, 3.26 लाख (21%) परिवारों को नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी मिल रहा है।

*****

अनुबंध

दिनांक 22.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2610 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

ग्रामीण परिवारों हेतु नल जल कनेक्शनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

(20.12.2022 की स्थिति के अनुसार)

(संख्या लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आज की तारीख के अनुसार कुल ग्रामीण परिवार	15.8.2019 की स्थिति के अनुसार नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार	नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार		तर्कसंगत दूरी पर पेयजल स्रोत के साथ कवर किए गए अन्य एचएच का %
				संख्या	% में	
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.29	0.62	100	-
2.	आंध्र प्रदेश	95.69	30.74	64.35	67.25	32.75
3.	अरुणाचल प्रदेश	2.29	0.23	1.56	67.97	30.45
4.	असम	65.68	1.11	27.46	41.81	49.13
5.	बिहार	1,66.98	3.16	159.90	95.76	4.20
6.	छत्तीसगढ़	50.07	3.20	17.65	35.25	64.75
7.	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	0.85	0.00	0.85	100	-
8.	गोवा	2.63	1.99	2.63	100	-
9.	गुजरात	91.73	65.16	91.73	100	-
10.	हरियाणा	30.41	17.66	30.41	100	-
11.	हिमाचल प्रदेश	17.19	7.63	16.70	97.17	2.83
12.	जम्मू एवं कश्मीर	18.35	5.75	10.64	57.95	42.05
13.	झारखंड	61.22	3.45	16.76	27.38	72.57
14.	कर्नाटक	1,01.18	24.51	59.81	59.11	40.89
15.	केरल	70.67	16.64	31.97	45.25	54.36
16.	लद्दाख	0.43	0.01	0.30	71.37	28.63
17.	लक्षद्वीप	0.13	0.00	-	0	-
18.	मध्य प्रदेश	1,20.07	13.53	55.31	46.07	53.93
19.	महाराष्ट्र	1,45.87	48.44	105.45	72.29	27.71
20.	मणिपुर	4.52	0.26	3.38	74.94	25.06
21.	मेघालय	6.30	0.05	2.78	44.1	55.90
22.	मिजोरम	1.34	0.09	0.96	71.76	28.24
23.	नागालैंड	3.77	0.14	2.14	56.64	43.36
24.	ओडिशा	88.57	3.11	48.85	55.15	44.26
25.	पुदुचेरी	1.15	0.94	1.15	100	-
26.	पंजाब	34.26	16.79	34.24	99.93	0.04
27.	राजस्थान	1,05.78	11.74	31.52	29.79	66.14
28.	सिक्किम	1.32	0.70	0.98	74.42	25.58
29.	तमिलनाडु	1,25.02	21.76	72.96	58.36	41.64
30.	तेलंगाना	53.87	15.68	53.87	100	-
31.	त्रिपुरा	7.42	0.25	4.17	56.17	39.52
32.	उत्तर प्रदेश	2,64.49	5.16	62.88	23.77	75.96
33.	उत्तराखंड	14.94	1.30	10.39	69.53	30.05
34.	पश्चिम बंगाल	1,81.18	2.15	52.46	28.95	70.80
	कुल	19,36.02	3,23.63	10,76.84	55.62	43.72

स्रोत: जेजेएम - आईएमआईएस

एचएच: परिवार